भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
27.11.2019 के
तारांकित प्रश्न सं. 125 का उत्तर

मंडल रेल प्रबन्धक

***125. श्री टी॰आर॰वी॰एस॰ रमेशः**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय रेल में मंडल रेल प्रबन्धकों को शॉर्ट लिस्ट किये जाने और उनकी तैनाती किये जाने हेतु दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है; (ई(ओ)(III-2016/पी2/02 दिनांक 16.08.2016)

(ख) रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा विवेक का प्रयोग किये जाने हेतु उपरोक्त दिशानिर्देशों के खंड 3.1 में मार्गदर्शक सिद्धान्त न होने के क्या कारण हैं;

(ग) उपरोक्त दिशानिर्देशों के खंड 15 में विद्यमान 'जनहित' शब्द का अर्थ और व्याप्ति क्या है;

(घ) क्या उपरोक्त दिशानिर्देशों के खंड 15 में वर्णित 'जनहित' शब्द में ऐसे अति प्रेरित अधिकारियों को करियर की उन्नति का अवसर प्रदान करना सम्मिलित है जिन्हें आयु में छूट प्रदान करके 8-10 वर्ष की लंबी अवधि तक वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में लगातार "उत्कृष्ट ग्रेड" प्रदान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या उपरोक्त दिशानिर्देशों के खंड 15 के अंतर्गत छूट किसी भी अधिकारी को दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी छूट का आधर क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

मंडल रेल प्रबंधकों के संबंध में दिनांक 27.11.2019 को लोक सभा में श्री टी.आर.वी.एस. रमेश द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं.125 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): मंडल रेल प्रबंधकों को शॉर्टलिस्ट किए जाने और उनकी तैनाती किए जाने हेतु दिशानिर्देशों को रेल मंत्रालय के दिनांक 16.08.2016 के पत्र सं.ई(ओ)।।।/2016/पीएल/02 के तहत अधिसूचित किया गया था। इन दिशानिर्देशों की एक प्रतिलिपि परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

(ख): तात्कालिकताएं अपनी प्रकृति के स्वभावतया ही, अप्रत्याशित होती हैं और इनका पूर्वानुमान लगाया नहीं जा सकता। इसलिए विवेकाधिकार का उपयोग करने के सिद्धांत की परिभाषा देना व्यवहार्य नहीं है। इसके अलावा, विवेकाधिकार का उपयोग करना रेल मंत्री के अनुमोदन के अध्यधीन है।

(ग) और (घ): सरकार के निर्णय के संदर्भ में जनहित शब्द से आशय किसी व्यक्ति के हित की तुलना में आम जनता और समाज के कल्याण से है। इन दिशानिर्देशों में आयु में छूट देने को विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है।

(ड.): 16.08.2016 को नीतिगत दिशानिर्देशों के अधिसूचित होने के बाद से खंड 15 के अंतर्गत कोई छूट प्रदान नहीं की गई है।

****

मंडल रेल प्रबंधकों के संबंध में दिनांक 27.11.2019 को लोक सभा में श्री टी.आर.वी.एस. रमेश द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं.125 के भाग (क) के उत्तर से संबंधित परिशिष्ट।

सं.ई(ओ)-।।।-2016/पीएल/02 नई दिल्ली, दिनांक: 16.08.2016

भारतीय रेल में मंडल रेल प्रबंधकों को

शॉर्टलिस्ट किए जाने और उनकी तैनाती से संबंधित दिशा-निर्देश

उक्त विषय पर मौजूदा नीतिगत दिशा निर्देशों के अधिक्रमण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारतीय रेल में कुल 68 मंडल रेल प्रबंधकों को शॉर्टलिस्ट किए जाने और उनकी तैनाती से संबंधित निम्नलिखित दिशानिर्देश अनुमोदित किए गए हैं।

1. मंडल रेल प्रबंधकों के पदों के लिए निम्नलिखित आठ (08) ग्रुप 'ए' रेल सेवाओं से संबंधित अधिकारियों पर विचार किया जाएगा:

(क) भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा (आईआरएसई)

(ख) भारतीय रेल यातायात सेवा (आईआरटीएस)

(ग) भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (आईआरएसएमई)

(घ) भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी सेवा (आईआरएसईई)

(ङ) भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी सेवा (आईआरएसएसई)

(च) भारतीय रेल लेखा सेवा (आईआरएएस)

(छ) भारतीय रेल भंडार सेवा (आईआरएसएस) और

(ज) भारतीय रेल कार्मिक सेवा (आईआरपीएस)

2. मंडल रेल प्रबंधकों के पद वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (पे बैंड-4 37,600-67,000/- रु. और ग्रेड वेतन 10,000 रु.) समय-समय पर यथा संशोधित ग्रेड में हैं। मंडल रेल प्रबंधक के पद पर तैनाती करना पदोन्नति नहीं है बल्कि बिना आर्थिक लाभ प्रदान किए उसी ग्रेड अर्थात एसए ग्रेड

में ही तैनाती की जाती है। मंडल रेल प्रबंधक के पद पर तैनाती के लिए अधिकारियों को इस तथ्य के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है कि इनके कार्य कठिन किस्म के होते हैं और मंडल रेल प्रबंधक उस मंडल के समग्र रूप से प्रभारी होते हैं, जो रेल परिचालन के सभी पहलुओं से संबंधित कार्य देखते हैं। अधिकारियों का मंडल रेल प्रबंधक के रूप में कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें वापस एसए ग्रेड में भेज दिया जाता है।

3. वे रेल सेवाएं जो गाड़ी परिचालनों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं, के लिए अप्रत्यक्ष रूप से गाड़ी परिचालनों में शामिल सेवाओं की तुलना में मंडल रेल प्रबंधकों के पद अधिक संख्या में होंगे। बहरहाल एक समय में एक सेवा के अधिकारी मंडल रेल प्रबंधक के कम-से-कम दो (2) स्थानों और अधिकतम चौदह (14) स्थानों पर तैनात किए जा सकते हैं। मंडल रेल प्रबंधकों के मौजूदा 68 पदों को ग्रुप 'ए' रेल सेवाओं में निम्नानुसार विभाजित किया गया है

सेवा	पदों की संख्या
भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा (आईआरएसई)	14
भारतीय रेल यातायात सेवा (आईआरटीएस)	14
भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (आईआरएसएमई)	14
भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी सेवा (आईआरएसईई)	10
भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी सेवा (आईआरएसएसई)	6
भारतीय रेल लेखा सेवा (आईआरएएस)	04
भारतीय रेल भंडार सेवा (आईआरएसएस) और	04
भारतीय रेल कार्मिक सेवा (आईआरपीएस)	02

3.1 माननीय रेल मंत्री के अनुमोदन से अध्यक्ष रेलवे बोर्ड द्वारा कुछ विभिन्न सेवाओं के पदों को तात्कालिकताओं के आधार पर पुन: समायोजित किया जा सकता है।

4. पदों को वरीयता क्रम में सेवा-वार शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जो उस विशेष सेवा के पैनल वर्ष में रिक्त होने वाले पदों की संख्या के 1.5 गुना के अनुपात में होगा। इन्हें एक समिति द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष रेलवे बोर्ड और उस सेवा के सदस्य रेलवे बोर्ड, जिसके लिए शॉर्टलिस्ट तैयार की जा रही है, सदस्य कार्मिक और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव शामिल होंगे। आईआरपीएस के मामले में, जिसके लिए सदस्य कार्मिक संबंधित बोर्ड सदस्य हैं, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड द्वारा किसी अन्य बोर्ड सदस्य को नामांकित किया जाएगा।

5. मंडल रेल प्रबंधक के रूप में शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले अधिकारियों की आयु उस वर्ष की 1 जुलाई को 52 वर्ष से कम होनी चाहिए, जिस वर्ष के लिए शॉर्टलिस्ट तैयार की जा रही है। शॉर्टलिस्ट किए गए अधिकारी को मंडल रेल प्रबंधक के रूप में शॉर्टलिस्ट के कार्यकाल की अवधि में तैनात किया जा सकता है, भले ही मंडल रेल प्रबंधक के रूप में वास्तविक तैनाती के समय उसकी आयु 52 वर्ष से अधिक हो। किसी वर्ष विशेष के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने के बाद, अधिकारियों को उस वर्ष उनकी सेवा में उत्पन्न होने वाले रिक्त पदों के लिए तैनात किया जाएगा, जो उनके संबंधित संवर्ग में उनकी वरीयता के क्रम में होगा।

6. मंडल रेल प्रबंधक के रूप में तैनात किए जाने वाले अधिकारियों की एसीआर/एपीएआर में कम से कम 'बहुत अच्छा+' मूल्यांकन की टिप्पणी होनी चाहिए। मंडल रेल प्रबंधक के पद पर तैनाती के लिए पिछले 5 वर्षों के दौरान कम-से-कम 2 बार उनका उत्कृष्ट के रूप में मूल्यांकन किया गया हो और नवीनतम एसीआर/एपीएआर में 1 क्लीयरेंस सहित कम से कम 02 (दो) क्लीयरेंस होने चाहिए, या नवीनतम 2 (दो) एसीआर/एपीएआर में 1 क्लीयरेंस सहित कम से कम 03 (तीन) क्लीयरेंस होने चाहिए।

7. मंडल रेल प्रबंधकों की शॉर्टलिस्ट, शॉर्टलिस्ट के अनुमोदन की तारीख पर ध्यान दिए बिना, वर्ष विशेष की 1 जुलाई या आगामी वर्ष की 30 जून की अवधि के दौरान मंडल रेल प्रबंधकों के रिक्त होने वाले पदों की आवश्यकता को पूरा करेगी। दूसरे शब्दों में, किसी शॉर्टलिस्ट की अवधि/वैधता उनके अनुमोदन की तारीख से शुरू नहीं होगी बल्कि 1 जुलाई से 30 जून तक की आवश्यकता के लिए वैध होगी। यदि 30 जून तक आवश्यकतानुसार पदों को नहीं भरा जाता है, तो इन आवश्यकताओं को उसी शॉर्टलिस्ट में से भरा जाएगा जो 30 जून के बाद भी ऐसी आवश्यकताओं के लिए बनाई गई है।

8. किसी भी सेवा से मंडल रेल प्रबंधक की तत्काल/अप्रत्याशित आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जिसे मौजूदा शॉर्टलिस्ट से पूरा नहीं किया जा सकता है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पूरक शॉर्टलिस्ट तैयार करने का निर्णय लिया जा सकता है।

9. यदि कोई अधिकारी मंडल रेल प्रबंधक के पद के लिए विशेष पैनल वर्ष में विचारार्थ क्षेत्र में नहीं आने के कारण शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता है या उनकी एपीएआर ग्रेडिंग निर्धारित ग्रेडिंग से कम है तो उसे अनुवर्ती पैनल वर्षों में शॉर्टलिस्ट करने के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते वह निर्धारित अर्हता मानदंड पूरा करते हों।

10. मंडल रेल प्रबंधक के रूप में शॉर्टलिस्ट में शामिल करते समय या वास्तविक तैनाती के समय अधिकारियों को सतर्कता की दृष्टि से क्लीयर होना चाहिए। चूंकि मंडल रेल प्रबंधक के पद संवेदनशील किस्म के पद होते हैं इसलिए, जिन अधिकारियों का सतर्कता क्लीयरेंस नहीं होगा उसके नाम पर मंडल रेल प्रबंधक के पद हेतु शॉर्टलिस्टिंग या तैनाती के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

11. जो अधिकारी मंडल रेल प्रबंधक के पद पर तैनाती को अस्वीकार कर देते हैं, उन्हें अस्वीकृति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए मंडल रेल प्रबंधक के पद पर तैनाती के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

12. केवल उन्हीं अधिकारियों के नाम पर विचार किया जाएगा जो शॉर्टलिस्ट तैयार किए जाने वाले वर्ष की 1 जुलाई को उक्त अर्हता शर्तों को पूरा करते हों। एक बार शॉर्टलिस्ट तैयार हो जाने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर देने के बाद किसी भी अधिकारी के नाम पर मंडल रेल प्रबंधक के पद पर शॉर्टलिस्ट/तैनाती के लिए विचार नहीं किया जाएगा, भले ही, वह बाद में अर्हता शर्तों को पूरा करते हों।

13. किसी भी कारण से वरिष्ठता की बहाली, मंडल रेल प्रबंधक के रूप में शॉर्टलिस्ट किए जाने का अधिकार प्रदान नहीं करती, यदि वह अधिकारी शॉर्टलिस्ट तैयार किए जाने वाले वर्ष की 1 जुलाई को मानदंड पूरा न करता हो।

14. मंडल रेल प्रबंधकों का सामान्य कार्यकाल 2-3 वर्ष का होगा। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां मंडल रेल प्रबंधक के पद पर शॉर्टलिस्ट किए गए अधिकारी की जब मंडल रेल प्रबंधक के रूप में तैनाती होती हो उस समय उसकी एचए ग्रेड में पदोन्नति होनी हो। ऐसा भी हो सकता है जब मंडल रेल प्रबंधक के पद पर तैनाती के बाद अधिकारी की अपने संवर्ग में एच ग्रेड में पदोन्नति होनी हो। ऐसे मामलों में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

(क) एचएजी में किसी भी अधिकारी को मंडल रेल प्रबंधक के रूप में तैनात नहीं किया जाएगा और न ही मंडल रेल प्रबंधक के पद को एचएजी में संचालित किया जाएगा।

(ख) मंडल रेल प्रबंधक के रूप में तैनाती के बाद, यदि किसी अधिकारी की एचएजी में पदोन्नति की बारी आती है और वह अधिकारी मंडल रेल प्रबंधक के रूप में न्यूनतम 15

माह के कार्यकाल को पूरा किए बिना एचएजी में पदोन्नति पाने के लिए अपने संवर्ग में वापस आने का निर्णय लेता है तो मंडल रेल प्रबंधक के रूप में उसके कार्यकाल को महाप्रबंधक (ओ.एल.) के पद पर अर्हता के लिए नहीं माना जाएगा।

(ग) यदि वह अधिकारी अपने न्यूनतम कार्यकाल को मंडल रेल प्रबंधक के रूप में पूरा करता है, तो एचएजी में उसकी वरीयता अप्रभावित रहेगी।

15. इन नीतिगत दिशानिर्देशों में अंतर्विष्ट होने के बावजूद सक्षम प्राधिकारी उपयुक्त मामले में लिखित कारणों को दर्ज करने के बाद प्रशासनिक आवश्यकताओं और जनहित को ध्यान में रखते हुए उक्त एक या एक से अधिक शर्तों में छूट दे सकता है।

16. उक्त उल्लिखित दिशानिर्देशों की विवेचना/आवेदन के प्रयोजनार्थ रेल मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा।

17. ये दिशानिर्देश पैनल वर्ष 2016-17 से लागू होंगे।

ह./-

(आर.के. वर्मा)

सचिव, रेलवे बोर्ड